तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 16/2015** **सीआईएस संख्या 619/2015** **सुभाष चन्द जैन बनाम ए.वी.वी.एन.एल. व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2025	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी पर सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज जो कि प्रतिवादी के कब्जे व अधिकार में है, प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दस्तावेज है। अतः उन्हें पेश करने बाबत प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि जो दस्तावेज प्रार्थना पत्र में वर्णित है, उनका उल्लेख ना तो वादपत्र में, ना ही जवाब दावे में है। किस प्रकार उक्त दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत है, यह नहीं बताया गया है। केवल मात्र प्रकरण में देरी करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र प्रतिवादीगण द्वारा उसके सेवा परिलाभों को अनुचित रूप से रोकने के सम्बंध में क्षतिपूर्ति बाबत पेश किया गया है। जहां तक प्रार्थन पत्र में वर्णित दस्तावेजों का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज किस प्रकार प्रकरण में सुसंगत है, ऐसा वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अथवा बहस के माध्यम से दर्शित नहीं किया गया है। जो दस्तावेज प्रस्तुत करवाना चाहा गया है, वह वर्ष 2012 के बताये गये हैं। जबकि हस्तगत प्रकरण वर्ष 2015 से लम्बित होकर वर्तमान में साक्ष्य प्रतिवादीगण में नियत है। किसी प्रकार उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज की सुसंगता दर्शित नहीं करने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु नियत की जाती है। प्रकरण पुराना है, आईन्दा पेशी पर आवश्यक रूप से प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य पेश करे एवं वादी जिरह करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	